

इलैक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचनाओं का विवरण

जयपुर डिस्कॉम द्वारा तैयार की जाने वाली निम्नलिखित सूचनाएँ कम्प्यूटर पर तैयार की जाती हैं जिन्हें कार्यावधि के दौरान कम्प्यूटर पर रखा जाता है तथा कार्य पूर्ण हो जाने अथवा सूचना के अवधि पार हो जाने के बाद उसे कम्प्यूटर से हटा दिया जाता है—

1. जयपुर डिस्कॉम द्वारा जारी की जाने वाली समस्त निविदाएँ वेबसाइट **www.jaipurdiscom.com** पर निशुल्क उपलब्ध करवाई जाती हैं।
2. जयपुर डिस्कॉम द्वारा जारी किये जाने वाले विभिन्न श्रेणियों के विद्युत उपभोग बिल प्राइवेट कम्प्यूटर द्वारा तैयार सर्विस से संविदा के आधार पर तैयार करवाये जाते हैं।
3. निगम में विभिन्न विभागों द्वारा जारी किये जाने वाले विभिन्न परिपत्र कम्प्यूटर पर तैयार किये जाते हैं।
4. जयपुर डिस्कॉम ने जयपुर एवं कोटा संभाग मुख्यालयों पर उपभोक्ताओं की शिकायतों को दर्ज करने एवं उन्हें दुरस्त करने के लिये कॉल सेंटर स्थापित किये हैं। ये कॉल सेंटर पूरी तरह कम्प्यूटाइज्ड हैं। यहाँ समस्त सूचनाओं का संधारण कम्प्यूटर पर किया जाता है।
5. जयपुर डिस्कॉम की अधीक्षण अभियंता (RE & Plan) शाखा द्वारा विभिन्न योजनाओं, कार्यों एवं कार्यक्रमों— यथा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना, त्वरित विकास योजना, आदि के प्रस्ताव तैयार करके भारत सरकार, राज्य सरकार, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, राज्य विद्युत विनियामक आयोग एवं अन्य संस्थाओं को भिजवाये जाते हैं। ये सभी प्रस्ताव कम्प्यूटर पर तैयार किये जाते हैं।
6. जयपुर डिस्कॉम की लेखा शाखा द्वारा प्रतिवर्ष तैयार किये जाने वाले बजट प्रस्ताव भी कम्प्यूटर पर तैयार किये जाते हैं।
7. जयपुर डिस्कॉम की लेखा शाखा द्वारा प्रतिवर्ष वार्षिक लेखा प्रतिवेदन भी कम्प्यूटर पर तैयार किये जाते हैं।
8. अधिशाषी अभियन्ता से मुख्य अभियन्ता स्तर तक विभिन्न मासिक सूचनाओं को कम्प्यूटर पर संकलित किया जाता है, इसमें विभिन्न योजनाओं की प्रगति, उपभोक्ताओं को दिये कनेक्शन, लम्बित कनेक्शन, विद्युत तंत्र व एफ.आर.पी. की प्रगति, कृषि कनेक्शन, राजस्व प्रतिवेदन इत्यादि विभिन्न सूचनाये होती हैं।
9. जयपुर डिस्कॉम के निगम मुख्यालय में स्थित विभिन्न कार्यालयों, संभागीय मुख्य अभियंता कार्यालयों तथा अधीक्षण अभियंता कार्यालयों द्वारा विभिन्न कार्यालयों के मध्य होने वाले पत्राचार एवं दूसरी एजेंसियों के मध्य होने वाले पत्राचार कम्प्यूटर पर तैयार करके भिजवाये जाते हैं।
10. निगम मुख्यालय द्वारा जारी की जाने वाली प्रेस विज्ञप्तियां जनसम्पर्क कार्यालय में कम्प्यूटर पर तैयार की जाती हैं।
11. अधीक्षण अभियन्ता(विधि) द्वारा निगम के पक्ष / विरुद्ध सभी न्यायालयों द्वारा निर्णित न्यायिक प्रकरणों का विवरण कम्प्यूटर में संधारित किया जाता है।
12. सतर्कता(शाखा) द्वारा संधारित शिकायते, निगम कार्मिको के विरुद्ध की जाने वाली जांचे इत्यादि।